

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.16(12)शिक्षा-1/99

जयपुर, दिनांक 30-3-2000

निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर ।

विषय :- राजकीय क्षेत्र के महाविद्यालयों में बी.एड./ एम.एड. के शुल्क निर्धारण के संबंध में ।

प्रसंग :- राज.उ.अ.शि.सं., बीकानेर का पत्रांक राउअशि/बीका/शैक्षिक/शुल्क/98-99/36 दिनांक 28-3-2000

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि विभाग के समसख्यक पत्र दिनांक 03-3-2000 के द्वारा शैक्षिक सत्र 1999-2000 में राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर द्वारा बी.एड./एम.एड. प्रशिक्षणार्थियों से गैर राजकीय शिक्षा संस्थाओं के प्रशिक्षणार्थियों के बराबर शुल्क लिये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई थी साथ ही राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, अजमेर में प्रशिक्षणरत आशार्थियों से शुल्क के अंतर की राशि एक माह की अवधि में जमा कराये जाने के निर्देश दिये गये थे । उक्त पत्र के क्रम में निर्देशानुसार राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क से मुक्त रखें जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

भवदीय,  
ह0/-  
(आर.सी. अग्रवाल)

उप शासन सचिव (आयोजना)